न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प न्यायालय हाजा – सोजत

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 14/2009

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र पुक जी
2. चैनाराम पुत्र पेमाराम
3. विद्यादेवी पत्नि पेमाराम जातियान कलाल {मेवाड़ा} निवासीगण–सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली
2. धीरा पुत्र खींवा के कायम मुकाम :–

2/1 गणपत पुत्र धीराराम जाति घॉची, निवासी– बिलाड़िया दरवाजा, पावटी का बास, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला– पाली।

3. वेनाराम पुत्र खींवा के कायम मुकाम :–

3/1 कुताराम

3/2 केवलचन्द पुत्र वेनाराम जातियान–घॉची, निवासी–बिलाड़िया दरवाजा, पावटी का बास, सोजत सिटी, तहसील–सोजत, जिला–पाली।

4. डूँगाराम पुत्र खींवा के कायम मुकाम :–

4/1 भूण्डाराम पुत्र डूँगाराम–जाति घॉची, निवासी–बिलाड़िया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली।

5. मालाराम पुत्र जसाराम के कायम मुकाम :–

5/1 चन्दू उर्फ चन्द्राराम जाति घॉची ,निवासी– पावटी का बास, सोजत सिटी।

5/2 मदनलाल जाति घॉची ,निवासी– सेवगो का बास, सोजत सिटी।

6. मुस्मात चौथकी जोजे अनीया
7. अनीया पुत्र हिमता जातियान–बावरी, निवासी–कन्तेरीया बेरा, सोजत सिटी, तह0–सोजत।
8. उम्मेदराम
9. सोहनलाल
10. मुन्नालाल पि. गोपाराम जातियान माली निवासीगण बालू बॉ का रेतीया बेरा, सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला–पाली।
11. जगदीश पुत्र सांवलराम जाति कलाल निवासी सोजत सिटी, तह0–सोजत।
12. सेसाराम पुत्र मॅगीलाल के कायम मुकाम :–

12/1 – फाऊलाल पुत्र सेसाराम

12/2 – कैलाशचन्द पुत्र सेसाराम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

12/3 – प्रकाशचन्द पुत्र रेसाराम

12/4 – रमेशचन्द पुत्र रेसाराम

12/5 – राकेशचन्द पुत्र रेसाराम जातियान घॉची, निवारी–पावटी का बारा, सोजत सिटी।

13. गुटाराम पुत्र मॉगीलाल के कायम मुकाम :–

13/1 रमेश पुत्र गुटाराम जाति नाई, निवारी सोजत सिटी तह0सोजत, जिला पाली।

14. पेमाराम पुत्र गोराराम जाति घॉची, निवारी पाली दरवाजा, सोजत सिटी।

15. मॉगीलाल पुत्र तेजाराम के कायम मुकाम :–

15/1 घीसूलाल पुत्र मॉगीलाल

15/2 सुकराराम पुत्र मॉगीलाल जाति घॉची ,निवासी–घॉचीयों की बड़ी हथाई, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली।

16. नारायणराम पुत्र जगाराम के कायम मुकाम :–

16/1 कुत्ताराम पुत्र नारायणराम घॉची, कुम्हारों का बास हाड़िया कुआ, सोजत सिटी।

17. घेवरराम पुत्र श्री जगाराम के कायम मुकाम :–

17/1 कानाराम

17/2 पारसराम

17/3 मोडाराम पि. घेवरराम घॉची, घॉचीयों की बड़ी हथाई, सोजत सिटी

18. जोराराम पुत्र जगाराम घॉची, निवासी हाडिया कुआ ,सोजत सिटी

19 सुगालराम पुत्र भोलाराम के कायम मुकाम :–

19/1 मीठुलाल

19/2 बूटाराम पि. सुगालराम घॉची, नि0 नरावा के सामने घॉचीयों के ओल के पास, सोजत सिटी

20. मिसराराम पुत्र भोलाराम के कायम मुकाम :–

20/1 दायाराम पुत्र मिसराराम

20/2 तुलसाराम पुत्र मिसराराम घॉची, जोधपुरीया दरवाजा के बाहर, श्रीमाली बगेची के पास, सोजत सिटी।

20/3 पारसराम पुत्र मिसराराम

20/4 धनाराम पुत्र मिसराराम घॉची, नरावा के अन्दर की गली, हाड़िया कुआ, सोजत।

21. सुजाराम पुत्र भोलाराम के कायम मुकाम :–

21/1 कालुराम

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

21/2 ओमप्रकाश

21/3 शिवलाल पि. सुजाराम घॉची, हाडिया कुआ, सोजत सिटी।

22. खींवाराम पुत्र भोलाराम घॉची निवारी अनदा का बारा, सोजत सिटी

23. बद्रीराम पुत्र बादर पुत्र छैलाराम घॉची , निवारी हाडिया कुआ से नीचे उतरते समय नरावा की अन्दर की गली, सोजत सिटी।

24. **उम्मेदराम उर्फ अमीया पुत्र पताराम के कायम मुकाम :–**

24/1 सोहनलाल पुत्र उम्मेदराम घॉची निवासी घॉचीयों की बड़ी हथाई ,सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला– पाली

25. **लूम्बाराम पुत्र छग्गाराम के कायम मुकाम :–**

25/1 मोकाराम पुत्र लूम्बाराम निवासी खोड़ों का बास, सोजत सिटी

25/2 **हरिकिशन पुत्र लूम्बाराम माली के का0 मु0**

25/2/1 महेन्द्र कुमार पुत्र हरिकिशन

25/2/2 नरपत कुमार पुत्र हरिकिशन

25/2/3 मुकेश कुमार पुत्र हरिकिशन, जाति–माली, निवासी–मेला का चौक, सोजत सिटी।

26. भेराराम पुत्र लूम्बाराम माली, नि0 खोडों का बास, सोजत सिटी

27. बींजाराम पुत्र विजयराज पुत्र लूम्बाराम माली, निवासी मैला का चौक, सोजत सिटी

28. **चतराराम उर्फ चेला पुत्र दुर्गाराम के कायम मुकाम :–**

28/1 भंवरलाल पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/2 रामलाल पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/3 गोपाराम पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/4 लक्ष्मण पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/5 सोहन पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/6 मनोहरलाल पुत्र चतराराम उर्फ चेला

29. **बस्तीराम पुत्र छगनाराम के कायम मुकाम :–**

29/1 गणपत पुत्र बस्तीराम घॉची, जैतारणीया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी।

29/2 रामचन्द्र पुत्र बस्तीराम घॉची

29/3 मॉगीलाल पुत्र बस्तीराम घॉची, निवासी खोडो का बास, मालियों की बड़ी हथाई घोसीवाड़ा, सोजत सिटी।

29/4 लक्ष्मणराम पुत्र बस्तीराम घॉची, निवासी खोडो का बास,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

मालियों की बड़ी हथाई घोसीवाड़ा, सोजत सिटी।

30. घेवरराम पुत्र छगा, जाति–कलाल, पावटा चौक, सोजतसिटी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित व श्री महेन्द्र नारायण अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री शरीफ घोसी अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 28-11-2019

अधिववक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत सिटी चक नं01 एक तहसील सोजत में पुराना खसरा नम्बर 87 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 87/1 रकबा 200 बीघा 10 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 87/2 रकबा 437 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 639 बीघा 10 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई हैं जिसे " **बेरा उचारड़ा की आराजीयात** " के नाम से भी जाना जाता है। बेरा उचारड़ा की आराजीयात के नये खसरा 292 से 317, 325 से 338, 456, 466, 467 कुल किता 43 रकबा 102.60 हैक्टयर एवं उक्त खसरान की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की स्थित हैं एवं खसरा नम्बर 472 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 472/1 रकबा 132 बीघा 13 बिस्वा, कुल खसरा 2 कुल रकबा 133 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं जिसे **"बेरा हामली की आराजीयात"** के नाम से भी जाना जाता है । बेरा हामली की आराजीयात के नये खसरा नं. 3135, 3136, 3317, 3321, 3328 से 3360 कुल किता खसरा 37 रकबा 21.41 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त खसरान की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रति. सं. 2, 3, 4, 14 से 29 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की स्थित हैं। उक्त **बेरा उचारड़ा** की विवादित कृषि भूमि में सम्वत् 2026 से 2029 तक की रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में नारायण पुत्र छगना घेवर पुत्र नारायण घॉची 1/8 हि, खींवा पुत्र सुरता घॉची 1/8 हि, पन्नालाल ,चम्पालाल पुत्र हीराचन्द औसवाल 1/8 हि, गुलाराम पुत्र बोराराम ,देवाराम, नारायणलाल, जगदीश पीसरान गुलाराम माली, घेवर पुत्र छगा कलाल 1/8 हि0, सुकनराज पुत्र दीपराज ,पदमराज ,प्रकाशराज पीसरान सुकनराज 3/4 हि0, सांवल पुत्र पुका कलाल 1/8 हि0, माणक पुत्र शम्भू कलाल 1/8 हि0, सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी में खींया पुत्र सुरता का 1/8 हिस्सा दर्ज हैं खीया पुत्र सुरता के देहान्त के बाद उनके वारिस प्रतिवादी नम्बर 2 धीरा, प्रतिवादी नम्बर 3 वेना प्रतिवादी नम्बर 4 डूँगा के नाम फौतेदगी म्यूटेशन नम्बर 729 भरा गया। प्रतिवादी नम्बर 2/1 के पिता धीरा , प्रतिवादी नम्बर 3/1, 3/2 के पिता वेना, प्रतिवादी नम्बर 4/1 के पिता डूँगाराम अपनी 1/8 हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज एंव कास्त करते थें। जिसमें सें धीरा वेना डूँगा ने दिनांक 17–2–1966 को अपने उचारड़ा बेरे की कृषि भूमि में से 1/16 वॉ हिस्सा किस्तुर बेटा सरदार, जाति–कलाल, निवासी–सोजत को रूपये 300/– में बेचान कर दिया गया । जहॉ बाद किस्तुर पुत्र सरदार जाति कलाल अपनी 1/16 हिस्सा की कृषि भूमि पर कास्त व कब्जा रहा । किस्तुर पुत्र सरदार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नि गीगी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से 1/16 वॉ हिस्सा की खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

कास्तकार के काबिज रही। स्वर्गीय किस्तुर पुत्र सरदार की मृत्यु के समय गीगी के अलावा अन्य कोई वारिस शेष नहीं था। न तो स्वर्गीय किस्तुर जी का कोई जाईन्दा पुत्र था और न ही कोई पुत्री थी इसलिए स्वर्गीय किस्तुर पुत्र सरदार कलाल के मुत्यु के पश्चात् उसकी सारी मनकुला व गैर मनकुला जायदाद की एक मात्र वारिस स्वंय गीगी देवी हो गई। गीगी देवी ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, वादीगण को दिनांक 17–09–1973 को 2000/– रूप्ये रोकड़ा प्राप्त कर अपने पति द्वारा खरीद सुदा बेरे उचारड़ा व आराजीयात की सम्पूर्ण 1/16 हिस्सा को वादीगण को बेचान कर दिया तथा बेचान नामा तहरीर व तकमील करा दिया व मौके पर चल कर कब्जा खास वादीगण का करा दिया , जो कब्जा एंव कास्त वादीगण का आज भी र्निवाध रूप से , बिना किसी रोक– टोक , बिना बाधा के चला आ रहा हैं। वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि कय करने के बाद पटवारी हल्का सोजत चक नम्बर 1 को उक्त कृषि भूमि बेरा उचारड़ा की आराजीयात में म्यूटेशन भरने हेतु वादीगण ने अपने पक्ष में निस्पादित बेचान नामा की एक प्रति दी गई , परन्तु पटवारी हल्का सोजत चक नम्बर 1 ने अपनी विद्वेश पूर्ण भावना को दर्शित करते हुए प्रतिवादी नम्बर 2/1, 3/1, 3/2, 4/1 की अन्य कृषि भूमि { बेरा हामली } में जिसे वादीगण के नाम म्यूटेशन नं0 550 भर दिया गया, जो काबिल खारिज के हैं। वादीगण ने कभी भी बेरा हामली में कृषि भूमि कय नहीं की हैं, बल्कि बेरा उचारड़ा की सम्पूर्ण आराजीयात में 1/16 वॉ हिस्सा कय किया हैं अतः बेरा उचारड़ा की सम्पूर्ण आराजीयात में ही वादीगण के नाम 1/16 वॉ हिस्सा का म्यूटेशन भरना चाहिए था । वादीगण आज भी बेरा उचारड़ा व उसकी आराजीयात जो इस वाद के पैरा नम्बर 1 में दर्शित कृषि भूमि में अपने 1/16 हिस्सा पर ही कब्जा एंव कास्त करता आ रहा हैं, तथा वादीगण बेरा उचारड़ा व उसकी आराजीयात में 1/16 वॉ हिस्सा के खातेदार कास्तकार हैं। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा विद्वेश पूर्ण भावना से व वादीगण की निरक्षरता व अज्ञानता का फायदा उठाते हुए आज दिन तक वादीगण के हक में उनके 1/16 वा हिस्से की कृषि भूमि का ईन्द्राज बेरा उचारड़ा की आराजीयात में नही हुआ हैं। अतः बिना कारण के खातेदार का नाम दर्ज नहीं करना पटवारी हल्का सोजत के विद्वेश पूर्ण भाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता हैं । पटवारी हल्का सोजत चक नम्बर 1 को इस प्रकार किसी रेवेन्यू रेकर्ड मे हेर फेर करने का कोई अधिकार नहीं हैं, न ही किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ देने का कोई अधिकार हैं। दिनांक 10–04–2008 को वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु सोजत कचहरी में आने पर पटवार हल्का सोजत चक नम्बर 1 द्वारा उक्त तमाम बात बताने पर वादी की जानकारी में आया कि उक्त खरीदसुदा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का नाम इन्द्राज नहीं हैं । बल्कि प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 की अन्य कृषि भूमि जिसे इस वाद में बेरा हामली की आराजीयात कहा गया हैं, में म्यूटेशन नम्बर 550 भरा गया हैं, जो काबिल खारिज योग्य है, वादीगण ने सिर्फ बेरा उचारड़ा में ही कृषि भूमि कय की हैं अतः वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया हैं कि वह अपने खरीदसुदा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार की घोषणा करवावें। अतः यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 एक तहसीलदार, सोजत भू– धारक होने से आवश्यक पक्षकार के तौर पर उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा तहसीलदार साहब सोजत एक राजकीय अधिकारी हैं, इस कारण वाद पत्र के साथ धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस विधिवत रूप से दिनांक 03.06.08 को दिया गया, जो दिनांक 04.06.2008 को श्रीमान् तहसीलदार सोजत को प्राप्त हो

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

चुका हैं प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 29 वादग्रस्त आराजीयात में रेकर्डेड शहखातेदार व ईफेक्टेड पर्सन होने से पक्षकार बनाया गया हैं । इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने पद सं0 1 बेरा उचारड़ा की कृषि भूमि 1/32 वां हिस्सा तथा वादी सं0 2 व 3 का बेरा उचारड़ा की भूमि मे वादीगण को 1/16 हिस्सें अर्थात 1/32 वां हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते जा0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं0 2 से 11, 13 से 24/1, 26, 27, 28/1 व 29 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 06–10–2009 को की गई। प्रति0 सं0 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6 से 11, 13 से 24, 26, 27, 28/2, 29/1 से 29/4 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 07–06–2011 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 सं0 28/1, 28/3, 28/4, 25/5 व 28/6 की ओर से नरसिंह राठौड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश करने की अन्डर टेकिंग ली गई एवं समय दिया गया। प्रति. सं0 12/1 तथा 30 का बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 16–05–2012 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 05–09–12 से लगातार प्रति0 सं0 25/1, 25/2/1 से 25/2/3, 26 व 27 की ओर से जवाब दावा पेश करने के लगातार अवसर दिए जाने पर भी पेश करने में विफल रहने से दिनांक 27.06.2013 को अवसर बन्द किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 12/2 से 12/5 की ओर से श्री शरीफ घोसी अधिवक्ता ने दिनांक 05.09.2012 को वकालतनामा पेश किया। किन्तु दि0 05.09.2012 से जवाब दावा हेतु अनेकानेक अवसर चाहे जाने/दिये जाने पर, विफल रहने से जवाब दावा बन्द किया गया। शहादत वादीगण PW-01 भंवरलाल एवं अन्य गवाहान, PW-2 कुताराम, PW-3 भुण्डाराम, PW-4 रामचन्द्र के तस्दीक़सुदा शपथ–पत्र पेश किये, का मुख्य परीक्षण करवाया गया। उक्त साक्षीगण के जिरह पर बयान कलमबद्ध करवाये जाकर सामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता वादीगण अन्य शहादत वादीगण पेश नही करना चाहने से शहादत वादीगण दिनांक 19.12.2014 को बन्द की गई। अधिवक्ता प्रति0 सं0 12 के का0मु0 12/1 से 12/5 ने कोई आपति (नो आब्जेक्शन) किया है। बहस वकुलाय दिनांक 19.11.2016 को सुनी गई, तत्पश्चात दि0 29.10.2018 को बहस हेतु समय दिया गया। न्यायालय हाजा के के पत्रांक/कोर्ट/2019/22 दिनांक 14.01.2019, 82 दिनांक 30.01.2019 तथा पत्रांक/कोर्ट/2019/346 दिनांक 03.06.2019 द्वारा तहसीलदार सोजत से विवादग्रस्त भूमि के उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण कर वर्तमान मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की रिपोर्ट बाबत पत्र लिखा गया। तहसीलदार सोजत के पत्रांक/राजस्व/2019/9676 दिनांक 05.08.2019 द्वारा विवादग्रसत भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका जॉच कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की गई, सामिल मिसल है। जिसमें अंकित किया है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच करने पर पटवार मण्डल सोजत चक 1 के बेरा उचारडा के खसरा नम्बर 292 से 317 व खसरा नम्बर 325 से 338 तथा खसरा नम्बर 456, 466, 467 कुल खसरा 43 कुल रकबा 102.60 है0 भूमि के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 941, 942, 943 जिसमें से खाता संख्या 943 के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

326, 327 गै0मु0 बेरा व सड़ा है। इन सभी खातो में वर्तमान में हिस्सा गलत दर्ज है। इन सभी खातो में धीराराम पुत्र खीवाराम , भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम, कुताराम पुत्र वेनाराम कौम घांची 27/32 दर्ज किया हुआ है जबकि इनका वास्तविक हिस्सा पूछताछ करने एवं मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार 1/8 हिस्सा है, तथा 1/8 हिस्सा के 1/2 भाग पर यानि 1/16 हिस्से पर वादीगण भंवरलाल पुत्र पुकाराम, चेनाराम पु0 पेमाराम तथा विद्यादेवी पत्नि पेमाराम कौम कलाल का मौके पर कब्जा काश्त है। वर्तमान में उक्त खातो एवं खसरा नम्बरो में हिस्सा मिलान नही होने से राज्य सरकार का महत्तवपूर्ण कार्य DILRMP के तहत विवादित खाता होने से मौके एवं रेकर्ड अनुसार खातेदारो से पूछताछ करने पर वर्तमान खाते में दर्ज हिस्सा को निम्नानुसार बताया गया है जो कि सही है। धीराराम पुत्र खीवाराम, कुताराम पुत्र वेनाराम, भुण्डाराम पुत्र डुगाराम 1/8 कौम घांची माला पुत्र जस्साराम 1/32 कौम घांची अनाराम पुत्र हिम्मताराम, गुलाबराम, मुलतानराम, रामलाल, नाराराम, विरमराम, किशनलाल, पप्पूराम, पि0 अनाराम केसी पुत्री अनाराम अनीया पुत्र हिम्मताराम 3/32 कौम बावरी उम्मेदराम, सोहनलाल, मुन्नालाल पि0 गोपाराम 1/8 कौम माली घेवरराम पुत्र छगाराम 1/16 कौम कलाल, उम्मेदराम पुत्र गोपाराम 1/32 कौम माली धनराज गोदी पुत्र लक्ष्मणराम, विद्यादेवी पत्नि लक्ष्मणराम कौम कलाल 8/32, जगदीश पुत्र सावलजी कलाल 231/1240 कालूराम पुत्र केसाराम, नारायणलाल, सम्पतराज पि0 कालूराम 99/4960 कौम माली बिदामी देवी पत्नि रामलाल बावरी 1/80 घीसी पत्नि मीठालाल 1/32 कौम घांची गुटाराम पुत्र मांगीलाल नाई 1/32 सा0देह खातेदार है (उपरोक्त सभी का हिस्सा बेरा व सडा तथा ख0नं0 310 को छोडकर है। इस प्रकार तहसीलदार सोजत द्वारा रेकर्ड एवं मौके की एवं रूबरू मौतबिरानो , काश्तकारो तथा उभयपक्षकारो एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति में तैयार सुदा पटवारी हल्का–सोजत I की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान रेकर्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार कब्जा काश्त तथा हिस्सा दर्शया होना सही बताया है, तदानुसार समस्त खातेदारान/काश्तकारान/मौतबिरान के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर कर सही होना स्वीकार किया गया है, सामिल मिसल है।

बहस वकुलाय उभय पक्षों तथा प्रति0 सं0 1 तहसीलदार सोजत की सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि मौजा सोजत चक I बेरा उचारड़ा के पुराना ख0नं0 87, 87/1 व 87/2 जिसके वर्तमान ख0नं0 292 से 317, 325 से 338, 456, 466 व 467 कुल किता 43 रकबा 102.60 हैक्टर कि भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 2/1, 3/1 व 3/2 तथा 4/1 के पिता से किस्तुरराम पुत्र सरदारराम कलाल साकिन सोजतसिटी ने दिनांक 17.02.1966 को जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख 300/–रूपये में क्रय की तथा किस्तूर पुत्र सरदार के फौत होने पर पश्चातवर्ती पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 17.09.1973 में किस्तूर के फौतेदगी का इन्द्राज करते हुए पत्नि गीगी बेवा किस्तूर से 2000/– रूपये में वादीगण संख्या 1 स्वयं व 2 एवं 3 के पिता/पति पेमाराम ने उनके 1/8 हिस्से का 1/2 यानि 1/16 हिस्सा की भूमि क्रय की थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 550 भरे जाने के समय बेरा हामली मौजा सोजत चक I में स्थित पुराने ख0नं0 472, 472/1 कुल खसरा 2 कुल रकबा 133 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 3135, 3136, 3317, 3321, 3328 से 3360 कुल किता 37 कुल रकबा 21.41हैक्टर भूमि के 1/8 हिस्से का 1/2 यानि 1/16 हिस्से में गलत रूप से भर दिया गया। ना0सं0 550 के जरिए बेरा हामली की भूमि में पूर्वोक्त बेरा उचारड़ा की भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

किया गया इन्द्राज गलत होने से उक्त नामान्तरकरण खारिज होने से खारिज योग्य है, जिसे खारिज करने की ईश्तदुआ की है। फलस्वरूप पुनः दुरस्ती का नामान्तरकरण हेतु उक्त कय सुदा पुराने ख0नं0 87, 87/1, 87/2 वर्तमान ख0नं0 292 से 317, 325 से 338, 456, 466 व 467 कुल किता 43 रकबा 102.60 हैक्टर भूमि में दर्ज वर्तमान दर्ज गलत हिस्से 27/32 के स्थान पर माफिक तहसीलदार सोजत की राजस्व रेकर्ड एवं मौका रिपोर्ट की वाद जांच प्रस्तुत वस्तुस्थिति रिपोर्ट को निर्णय का एक भाग माना जावे। उसी अनुसार 1/8 हिस्सा मानते हुए दुरस्त किये जाने तथा तत्पश्चात 1/8 हिस्से का 1/2 यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/16 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में बेरा उचारडा की भूमि बतौर खातेदारी दर्ज करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12/1 से 12/5 तथा तहसीदार सोजत ने नो आब्जेकशन कर सहमति /स्वीकारोक्ति अंकित की है तथा कोई प्रतिरोधात्मक तथ्य पेश नही किये है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, पंजीबद्व दस्तावेजात विकय विलेख दिनांक 17.02.1966 ,17.09.1973 तथा बतौर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत तस्दीकसुदा शपथ पत्र pw-1 भँवरलाल, कुताराम, भुण्डाराम, रामचन्द्र के तस्दीकसुदा शपथपत्र मय मुख्य परीक्षण के कलमबद्व करवाये गये बयानात तथा समस्त राजस्व रेकर्ड व मौका की तहसीलदार सोजत एवं पटवारी हल्का द्वारा बाद जॉच वस्तुस्थिति की रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय एवं प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार सोजत द्वारा की गई पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादपत्र में वर्णित तथ्यो की संपुष्टि प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तथा शपथ पत्रो व बयानात् से होती है। लिहाजा अधिवक्ता मय वादीगण का वाद पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 17.02.1966 व 17.09.1973 स्वीकार किया जाना पूर्वोक्त नामान्तरकरण संख्या 550 दिनांक 20.02.1986 बिना पंजीबद्व दस्तावेजात की जांच किये बेरा उचारड़ा की भूमि का बेरा हामली की भूमि में गलत व वास्तविक तथ्यो से परे जाकर विधिविरूद्व भरे जाने से तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाना तथा सही व वास्तविक रूप से बेरा उचारडा मौजा सोजत । में स्थित कृषि भूमि पुराने ख0नं0 87, 87/1, 87/2 वर्तमान ख0नं0 292 से 317, 325 से 338, 456, 466 व 467 कुल किता 43 रकबा 102.60 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2/1, 3/1, 3/2 तथा 4/1 स्वयं/पिता के नाम दर्ज 27/32 हिस्से की भूमि को माफिक तहसीदार सोजत मय पटवारी हल्का सोजत की प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका रिपोर्ट अनुसार 1/8 हिस्सा दुरस्त कर अर्थात् 1/8 हिस्से का 1/2 यानि 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा उक्त वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है। उक्त प्रति वादीगण संख्या 2/1, 3/1, 3/2 व 4/1 स्वयं पिता का उक्त भूमि में अवशेष 1/16 हिस्सा का इन्द्राज बदस्तुर दर्ज किया जाना भी उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि चूंकि उक्त प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की संपुष्टि प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तथा शपथ पत्रो व बयानात् से होती है। लिहाजा अधिवक्ता मय वादीगण का वाद पंजीबद्व

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

दस्तावेज दिनांक 17.02.1966 व 17.09.1973 स्वीकार किया जाता है। पूर्वोक्त नामान्तरकरण संख्या 550 दिनांक 20.02.1986 बिना पंजीबद्व दस्तावेजात की जांच किये बेरा उचारड़ा की भूमि का बेरा हामली की भूमि में गलत व वास्तविक तथ्यो से परे जाकर विधिविरूद्व भरे जाने से तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है तथा सही व वास्तविक रूप से बेरा उचारडा मौजा सोजत । में स्थित कृषि भूमि पुराने ख0नं0 87, 87/1, 87/2 वर्तमान ख0नं0 292 से 317, 325 से 338, 456, 466 व 467 कुल किता 43 रकबा 102.60 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2/1, 3/1, 3/2 तथा 4/1 स्वयं/पिता के नाम दर्ज 27/32 हिस्से की भूमि को माफिक तहसीदार सोजत मय पटवारी हल्का सोजत की प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका रिपोर्ट अनुसार 1/8 हिस्सा दुरस्त कर यानि 1/8 हिस्से का 1/2 यानि 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का सोजत 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच वस्तुस्थिति की प्रस्तुत रिपोर्ट को निर्णय का एक भाग माना जावें। उक्त प्रतिवादीगण संख्या 2/1, 3/1, 3/2 तथा 4/1 स्वयं पिता उक्त भूमि में अवशेष 1/6 हिस्सा का इन्द्राज बदस्तुर किया/रखा जावें। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिकी पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर पत्रावलीबद्व किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिकी पर्चा वस्तुस्थिति रिपोर्ट तहसीलदार सोजत मय पटवारी सोजत 1 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारो सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बईजलाश श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र पुक जी
2. चैनाराम पुत्र पेगाराम
3. विद्यादेवी पत्नि पेमाराम जातियान कलाल {मेवाड़ा} निवासीगण–सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली
2. <u>धीरा पुत्र खींवा के कायम मुकाम</u> :–

2/1 गणपत पुत्र धीराराम जाति घॉची, निवासी– बिलाड़िया दरवाजा, पावटी का बास, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला– पाली।

3. <u>वेनाराम पुत्र खींवा के कायम मुकाम</u> :–

3/1 कुताराम

3/2 केवलचन्द पुत्र वेनाराम जातियान–घॉची, निवासी–बिलाड़िया दरवाजा, पावटी का बास, सोजत सिटी, तहसील–सोजत, जिला–पाली।

4. <u>डूँगाराम पुत्र खींवा के कायम मुकाम</u> :–

4/1 भूण्डाराम पुत्र डूँगाराम–जाति घॉची, निवासी–बिलाड़िया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली।

5. <u>मालाराम पुत्र जसाराम के कायम मुकाम</u> :–

5/1 चन्दू उर्फ चन्द्राराम जाति घॉची ,निवासी– पावटी का बास, सोजत सिटी।

5/2 मदनलाल जाति घॉची ,निवासी– सेवगो का बास, सोजत सिटी।

6. मुस्मात चौथकी जोजे अनीया
7. अनीया पुत्र हिमता जातियान–बावरी, निवासी–कन्तेरीया बेरा, सोजत सिटी, तह0–सोजत।
8. उम्मेदराम
9. सोहनलाल
10. मुन्नालाल पि. गोपाराम जातियान माली निवासीगण बालू बॉ का रेतीया बेरा, सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला–पाली।
11. जगदीश पुत्र सांवलराम जाति कलाल निवासी सोजत सिटी, तह0–सोजत।
12. <u>सेसाराम पुत्र मॉगीलाल के कायम मुकाम</u> :–

12/1 – फाऊलाल पुत्र सेसाराम

12/2 – कैलाशचन्द पुत्र सेसाराम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

12/3 – प्रकाशचन्द पुत्र रोराराम

12/4 – रमेशचन्द पुत्र रोराराम

12/5 – राकेशचन्द पुत्र रोराराम जातियान घॉची, निवासी–पावटी का बारा, सोजत सिटी।

13. **गुटाराम पुत्र मॉगीलाल के कायम मुकाम** :–

13/1 रमेश पुत्र गुटाराम जाति नाई, निवासी सोजत सिटी तह0सोजत, जिला पाली।

14. पेमाराम पुत्र गोराराम जाति घॉची, निवासी पाली दरवाजा, सोजत सिटी।

15. **मॉगीलाल पुत्र तेजाराम के कायम मुकाम** :–

15/1 घीसूलाल पुत्र मॉगीलाल

15/2 सुकराराम पुत्र मॉगीलाल जाति घॉची ,निवासी–घॉचीयों की बड़ी हथाई, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली।

16. **नारायणराम पुत्र जगाराम के कायम मुकाम** :–

16/1 कुत्ताराम पुत्र नारायणराम घॉची, कुम्हारों का बास हाड़िया कुआ, सोजत सिटी।

17. **घेवरराम पुत्र श्री जगाराम के कायम मुकाम** :–

17/1 कानाराम

17/2 पारसराम

17/3 मोडाराम पि. घेवरराम घॉची, घॉचीयों की बड़ी हथाई, सोजत सिटी

18. जोराराम पुत्र जगाराम घॉची, निवासी हाडिया कुआ ,सोजत सिटी

19 **सुगालराम पुत्र भोलाराम के कायम मुकाम** :–

19/1 मीठुलाल

19/2 बूटाराम पि. सुगालराम घॉची, नि0 नरावा के सामने घॉचीयों के ओल के पास, सोजत सिटी

20. **मिसराराम पुत्र भोलाराम के कायम मुकाम** :–

20/1 दायाराम पुत्र मिसराराम

20/2 तुलसाराम पुत्र मिसराराम घॉची, जोधपुरीया दरवाजा के बाहर, श्रीमाली बगेची के पास, सोजत सिटी।

20/3 पारसराम पुत्र मिसराराम

20/4 धनाराम पुत्र मिसराराम घॉची, नरावा के अन्दर की गली, हाड़िया कुआ, सोजत।

21. **सुजाराम पुत्र भोलाराम के कायम मुकाम** :–

21/1 कालुराम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

21/2 ओमप्रकाश

21/3 शिवलाल पि. सुजाराम घॉची, हाडिया कुआ, सोजत सिटी।

22. खींवाराम पुत्र भोलाराम घॉची निवासी अनदा का बास, सोजत सिटी

23. बद्रीराम पुत्र बादर पुत्र छैलाराम घॉची , निवासी हाडिया कुआ से नीचे उतरते समय नरावा की अन्दर की गली, सोजत सिटी।

24. <u>उम्मेदराम उर्फ अमीया पुत्र पताराम के कायम मुकाम</u> :–

24/1 सोहनलाल पुत्र उम्मेदराम घॉची निवासी घॉचीयों की बड़ी हथाई ,सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला– पाली

25. <u>लूम्बाराम पुत्र छग्गाराम के कायम मुकाम</u> :–

25/1 मोकाराम पुत्र लूम्बाराम निवासी खोड़ों का बास, सोजत सिटी

25/2 <u>हरिकिशन पुत्र लूम्बाराम माली के का0 मु0</u>

25/2/1 महेन्द्र कुमार पुत्र हरिकिशन

25/2/2 नरपत कुमार पुत्र हरिकिशन

25/2/3 मुकेश कुमार पुत्र हरिकिशन, जाति–माली, निवासी–मेला का चौक, सोजत सिटी।

26. भेराराम पुत्र लूम्बाराम माली, नि0 खोडों का बास, सोजत सिटी

27. बींजाराम पुत्र विजयराज पुत्र लूम्बाराम माली, निवासी मैला का चौक, सोजत सिटी

28. <u>चतराराम उर्फ चेला पुत्र दुर्गाराम के कायम मुकाम</u> :–

28/1 भंवरलाल पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/2 रामलाल पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/3 गोपाराम पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/4 लक्ष्मण पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/5 सोहन पुत्र चतराराम उर्फ चेला

28/6 मनोहरलाल पुत्र चतराराम उर्फ चेला

29. <u>बस्तीराम पुत्र छगनाराम के कायम मुकाम</u> :–

29/1 गणपत पुत्र बस्तीराम घॉची, जैतारणीया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी।

29/2 रामचन्द्र पुत्र बस्तीराम घॉची

29/3 गॉगीलाल पुत्र बस्तीराम घॉची, निवासी खोडो का बास, मालियों की बड़ी हथाई घोसीवाड़ा, सोजत सिटी।

29/4 लक्ष्मणराम पुत्र बस्तीराम घॉची, निवासी खोडो का बास,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

मालियों की बड़ी हथाई घोसीवाड़ा, सोजत सिटी।

30. घेवरराम पुत्र छगा, जाति–कलाल, पावटा चौक, सोजतसिटी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु0नं0 :– राजस्व वाद संख्या :– 14/2009

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण तथा अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित व श्री महेन्द्र नारायण अधिवक्ता वादीगण तथा श्री शरीफ घोसी अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण का वाद पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 17.02.1966 व 17.09.1973 स्वीकार किया जाता है। पूर्वोक्त नामान्तरकरण संख्या 550 दिनांक 20.02.1986 बिना पंजीबद्व दस्तावेजात की जांच किये बेरा उचारड़ा की भूमि का बेरा हामली की भूमि में गलत व वास्तविक तथ्यो से परे जाकर विधिविरूद्व भरे जाने से तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है तथा सही व वास्तविक रूप से बेरा उचारडा मौजा सोजत । में स्थित कृषि भूमि पुराने ख0नं0 87, 87/1, 87/2 वर्तमान ख0नं0 292 से 317, 325 से 338, 456, 466 व 467 कुल किता 43 रकबा 102.60 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2/1, 3/1, 3/2 तथा 4/1 स्वयं/पिता के नाम दर्ज 27/32 हिस्से की भूमि को माफिक तहसीदार सोजत मय पटवारी हल्का सोजत की प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका रिपोर्ट अनुसार 1/8 हिस्सा दुरस्त कर यानि 1/8 हिस्से का 1/2 यानि 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का सोजत 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच वस्तुस्थिति की प्रस्तुत रिपोर्ट को निर्णय का एक भाग माना जावें। उक्त प्रतिवादीगण संख्या 2/1, 3/1, 3/2 तथा 4/1 स्वयं पिता उक्त भूमि में अवशेष 1/6 हिस्सा का इन्द्राज बदस्तुर किया/रखा जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिकी पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.11.2019 को जारी की गई।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner